सराहनीय पुलिस कार्यवाही, जनपद संतकबीरनगर

दिनांक: 30.03.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ.प्र. लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर, जोन गोरखपुर के निर्देशन में तथा श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती, परिक्षेत्र बस्ती के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद, एसओजी टीम, सर्विलांस सेल पुलिस टीम द्वारा नकली सोने की बिस्कुट देकर 08 लाख रुपए की ठगी व धोखाधड़ी का सफल अनावरण किया गया।

घटना विवरण:-
दिनांक 26.03.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादी गल्ला व्यवसायी श्री सन्नी कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद गुप्ता निवासी खड्डा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाँक 23.03.2026 को 04 व्यक्तियों द्वारा मिलकर नकली गोल्ड देकर 08 लाख रुपए ठगी व धोखाधड़ी कर लिया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 197/2026 धारा 352/318(4)/319(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। दिनांक 29.03.2026 को कुल 02 अभियुक्तगणो को स्पर्श हास्पिटल से पहले कट से डडवा नहर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01.प्रदीप कुमार राव पुत्र स्व0 संतकुमार निवासी लोहदर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती (हा0मु0 नौतनवा बाईपास व्हाइट हाउस मैरेज हाल के बगल मे किराये की मकान पुनित तिवारी का) थाना नौतनवा जनपद महराजगंज उम्र करीब 47 वर्ष।
02.संजय चौधरी पुत्र संतराम चौधरी निवासी बैरनपुर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर उम्र करीब 42 वर्ष(होमगार्ड)।

बरामदगी का विवरणः-
08 लाख रुपया नगद, 03 अदद मोबाइल, 02 अदद पीली धातु का बिस्कुट वजन करीब 200 ग्राम, 01 सेट वर्दी मय बेल्ट व नेम प्लेट, 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद मोटरसाइकिल एच एफ डिलक्स(UP51AS 5348)।

आगामी कार्रवाई:-
कुल 02 अभियुक्तगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।

पूछताछ विवरण:-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो प्रदीप कुमार राव द्वारा बताया कि दिनांक 23.03.2026 को मोबाइल से वार्ता के क्रम में सन्नी कुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी खड्डा जनपद कुशीनगर को सोने का बिस्कुट देने हेतु बुलाया था, सन्नी कुमार गुप्ता कुर्थिया पेट्रोल पम्प के दक्षिण पोखरा के बगल मे उपस्थित आये, जिनसे सोने का बिस्कुट देकर आठ लाख रुपया ले लिया गया। पहले से वार्ता के क्रम में संजय चौधरी बावर्दी मौके पर पहुंचे और 08 लाख रुपये बैग सहित मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लेकर चले गये तथा रुपये को हम लोग सुरक्षित स्थान पर रख दिये तथा संजय चौधरी अपनी ड्यूटी करने लगे। इसी बीच अखबार से सूचना मिली की सन्नी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद मे मुकदमा लिखवाया गया है। इस जानकारी के क्रम मे आज हम लोग उक्त रुपये को लेकर नौतनवा जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये।

सीसीटीएनएस रैंकिंग में माह फरवरी 2026 में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को प्रदेश में मिला प्रथम रैंक

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के मार्गदर्शन तथा अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर / सीसीटीएनएस के नोडल अधिकारी ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी सीसीटीएनएस ***उ0नि0 श्री रजनीश राय*** एवं जनपद के सभी थानों के अथक प्रयास से सीसीटीएनएस योजना प्रगति डैशबोर्ड में तकनीकी सेवाएं मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा जारी सीसीटीएनएस पोर्टल के माह फरवरी 2026 की डाटा के अनुसार जनपदों की रैंकिंग में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
सीसीटीएनएस के परफॉर्मेंस के सम्बन्ध में डाटा प्रत्येक माह एनसीआरबी को प्रेषित की जाती है जिसे प्रगति डैशबोर्ड के नाम से जाना जाता है जिसकी मॉनीटरिंग केंद्रीय स्तर पर की जाती है। पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर महोदय द्वारा सीसीटीएनएस रैंकिग में सुधार हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7667 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल 01 बालिका को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 7667 पर थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत गजौली शेख से कालर असगर अली ने मारपीट विवाद में घायल 01 बालिका (01.महरा खातून पुत्री यार मोहम्मद सा0 गजौली शेख थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल बालिका को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल बालिका को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- आ0 कन्हैयालाल, हो0चा0 वीरेन्द्र चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 214 वाहनों से 2,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 30.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 214 वाहनों से 2,25,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 07 स्थानो पर लगवाये गये 23 सीसीटीवी कैमरे

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत आज दिनाँक 30.03.2026 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 07 स्थानों पर 23 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना धनघटा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा, थाना महुली पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरा, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 03 स्थानो पर 11 कैमरा, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 06 कैमरा, थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 01 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेंहदावल *श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह* की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 112/2026 धारा 64(2)(m), 115(2) , 351(2) बीएनएस व 5l/6 पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता राकेश शर्मा पुत्र गोविन्द्र शर्मा निवासी तुनियहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 29.03.2026 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 30.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष मेंहदावल श्री सतीश कुमार मिश्रा, हे0का0 मोती लाल यादव, का0 अनुराग सिंह, म0का0 मंजू निषाद।